भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4956
(23 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा में अनियमितताएं

4956. श्री संजय हरिभाऊ जाधवः
श्री ओम पवन राजेनिंबालकरः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ध्यान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में निधियों के व्यापक पैमाने पर विपथन, मजदूरी का कम/भुगतान नहीं किया जाना पारदर्शिता की कमी, आदि सहित अनियमितताओं/भ्रष्टाचार और गबन की ओर गया है;
(ख) यदि हां, तो वर्ग-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान की गई अनियमितताओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रकृति क्या है;
(ग) सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत उक्त अवधि के दौरान जारी निधियों और उनके उपयोग सहित ऐसी अनियमितताओं/भ्रष्टाचार की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या कार्रवाई की गई;
(घ) क्या ग्राम पंचायतें विहित प्रक्रिया के अनुसार सामाजिक लेखा परीक्षण कर रही हैं;
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे; और
(च) सरकार द्वारा मनरेगा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उठाए प्रमुख कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ग): मंत्रालय को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के अंतर्गत निधियों के बड़े पैमाने पर विपथन, मजदूरी का कम भुगतान/भुगतान न किए जाने, पारदर्शिता की कमी इत्यादि सहित अनियमितताओं/भ्रष्टाचार और गबन की शिकायतें मिलती हैं। चूंकि मनरेगा के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य

सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को सौंपी गई है, इसीलिए मंत्रालय में प्राप्त सभी शिकायतें विधि अनुसार जांच पड़ताल सहित उचित कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दी जाती हैं। पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूती प्रदान करने के लिए उपाय किए गए हैं जिनमें जियो-टैगिंग, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (ीबीटी), राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (एनईएफएमएस), आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस), सॉफ्टवेयर फोर एस्टीमेट कैल्कुलेशन यूजिंग रूरल रेट्स फोर इम्प्लॉयमेंट (सिक्योर) और राज्यों में स्वतंत्र लेखा परीक्षा इकाइयों की स्थापना तथा ओम्बड्समेन की नियुक्ति शामिल हैं। राज्यों की समय-समय पर राज्य विशिष्ट समीक्षाएं भी की जाती हैं। मंत्रालय के अधिकारी और राष्ट्र स्तरीय मॉनिटर मनरेगा के कार्य निष्पादन की देख-रेख करने के लिए विभिन्न जिलों का दौरा भी करते हैं। श्रेणी-वार घटकों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध-। में दिया गया है।

(घ) और (.): जी, हां। 27 राज्यों ने स्वतंत्र सामाजिक लेखा परीक्षा इकाइयों की स्थापना की है। प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के अनुसार, पिछले तीन वित्तीय वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा कराए गए ग्राम पंचायतों की कुल संख्या तथा सूचित मामलों की कुल संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या जहां लेखा परीक्षा कराई गई	सूचित मामलों की कुल संख्या
2016-17	62859	217357
2017-18	62853	217357
2018-19	106289	489088
2019-20 (22.07.2019 तक)	1517	11683

संबंधित राज्यों द्वारा आगे की सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों को एमआईएस में अपलो किया जाता है।

(च): सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के क्रियान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए समय-समय पर विभिन्न उपाय किए हैं। इनका ब्यौरा निम्नानुसार है:

i. राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (एनई-एफएमएस) का क्रियान्वयन, आधार आधारित भुगतान प्रणाली पर बल, निधि प्रवाह प्रणाली का सरलीकरण और मजदूरों को समय पर मजदूरी के भुगतान की निगरानी पर फोकस रहा है। सभी स्टेक-होल□रों के साथ सक्रियता से जुड़कर निरंतर प्रयास करते रहने से समय पर मजदूरी के भुगतान की स्थिति में काफी अधिक सुधार हुआ है।

ii. ग्राम पंचायत स्तर की बजाय जिला स्तर पर 60:40 के मजदूरी और सामग्री अनुपात को मंजूरी दी गई है। इससे आय सृजित करने वाली टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण पर नए सिरे से जोर दिए जाने में मदद मिली है।

iii. कमजोर तबके के परिवारों की उच्चतम प्रतिशतता वाले राज्यों को और अधिक वेटेज देने के लिए एसईसीसी, 2011 के आंकड़ों के आधार पर राज्यों के लिए श्रम बजट आवंटन का सांकेतिक निर्धारण करने की नीति अपनाई गई।

iv. राष्ट्रीय, राज्य, जिला और पंचायत स्तर पर मनरेगा योजना का कृषि, वन, बागवानी, मात्स्यिकी, रेशम कीटपालन, पशुपालन, पंचायत को एफएफसी/एसएफसी अनुदान, सिंचाई, रेलवे, □□ब्ल्यूएस, विद्यालय शिक्षा इत्यादि जैसे विभागों के साथ तालमेल किए जाने से ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में बेहतर सामंजस्य आया है।

v. मिशन जल संरक्षण कार्यों के विषय में राज्य तकनीकी संसाधन दल/जिला तकनीकी संसाधन दल/ब्लॉक तकनीकी संसाधन दल जैसे मनरेगा कर्मियों का क्षमता निर्माण, जियो-मनरेगा पर प्रशिक्षण इत्यादि।

vi. मंत्रालय ने नकली तथा □प्लिकेट जॉब का□ों को हटाने के लिए मनरेगा कामगारों के जॉब का□ों के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की है।

vii. लेखा परीक्षा मानक जारी किए गए हैं और राज्यों को स्वतंत्र सामाजिक लेखा परीक्षा इकाइयां स्थापित करने, योजना के लेखा परीक्षा नियमों के अनुसार सामाजिक लेखा परीक्षा कराने, सामाजिक लेखा परीक्षा कराने के लिए ग्राम संसाधन व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने इत्यादि की सलाह दी गई है।

viii. बेहतर आयोजना, प्रभावी निगरानी, बेहतर स्पष्टता और अधिकतम पारदर्शिता के लिए जियो-मनरेगा नामक एक उल्लेखनीय पहल शुरू की गई है जिसमें मनरेगा योजना के अंतर्गत सृजित सभी परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है।

ix. विशेष रूप से कार्यों के अनुमान की गणना करने के लिए □जाइन एवं विकसित किए गए सॉफ्टवेयर फॉर एस्टिमेट कैलकुलेशन यूजिंग रूरल रेट्स फॉर इम्प्लॉयमेंट (सिक्योर) नामक एप्लिकेशन को शुरू किया गया है।

लोक सभा में दिनांक 23.07.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 4956 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-।

वि. व. 2016-17

क्र. सं.	राज्य का नाम	अनियमितताएं (विशिष्ट नहीं)	मनरेगा के अंतर्गत भ्रष्टाचार	मनरेगा के अंतर्गत निधियों का दुर्विनियोजन	मजदूरी का कम भुगतान	मजदूरी का भुगतान न किया जाना	जागरुकता की कमी और कार्य प्रदान न करना	कुल
1	आंध्र प्रदेश	0	5	0	0	0	0	5
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0
3	असम	1	4	1	0	0	0	6
4	बिहार	1	10	0	0	1	0	12
5	छत्तीसगढ़	3	2	0	0	1	0	6
6	गोवा	0	0	0	0	0	0	0
7	गुजरात	0	1	0	0	0	0	1
8	हरियाणा	2	4	0	0	0	0	6
9	हिमाचल प्रदेश	0	2	0	0	0	0	2
10	जम्मू और कश्मीर	0	1	0	0	0	0	1
11	झारखं□	2	2	0	0	0	0	4
12	कर्नाटक	2	0	0	0	0	0	2
13	केरल	0	1	0	0	0	0	1
14	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0
15	मध्य प्रदेश	1	8	0	0	0	0	9
16	महाराष्ट्र	0	2	0	0	0	0	2
17	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0
18	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0
19	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0
20	नागालैं□	0	0	0	0	0	0	0
21	ओ□िशा	0	1	0	0	1	0	2
22	पंजाब	0	1	1	0	1	0	3
23	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0
24	राजस्थान	5	17	0	0	1	0	23
25	तमिलना□	0	6	0	0	2	0	8
26	तेलंगाना	0	0	0	0	0	0	0
27	त्रिपुरा	2	1	0	0	0	0	3
28	उत्तर प्रदेश	25	66	1	0	2	1	95
29	उत्तराखं□	3	3	0	0	1	0	7
30	प. बंगाल	2	6	1	0	0	0	9
31	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	49	143	4	0	10	1	207

वि. व. 2017-18

क्र. सं.	राज्य का नाम	अनियमितताएं (विशिष्ट नहीं)	मनरेगा के अंतर्गत भ्रष्टाचार	मनरेगा के अंतर्गत निधियों का दुर्विनियोजन	मजदूरी का कम भुगतान	मजदूरी का भुगतान न किया जाना	जागरुकता की कमी और कार्य प्रदान न करना	कुल
1	आंध्र प्रदेश	0	6	1	0	0	0	7
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0
3	असम	1	5	5	0	1	0	12
4	बिहार	2	12	2	0	1	0	17
5	छतीसगढ़	3	5	0	1	3	0	12
6	गोवा	0	0	0	0	0	0	0
7	गुजरात	0	2	0	0	0	0	2
8	हरियाणा	6	2	0	0	1	0	9
9	हिमाचल प्रदेश	1	1	0	0	0	0	2
10	जम्मू और कश्मीर	1	2	0	0	2	0	5
11	झारखं	2	5	2	0	1	0	10
12	कर्नाटक	2	0	0	0	0	0	2
13	केरल	0	2	0	0	79	0	81
14	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0
15	मध्य प्रदेश	1	10	0	0	1	0	12
16	महाराष्ट्र	0	3	0	0	3	0	6
17	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0
18	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0
19	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0
20	नागालैं	0	0	0	0	0	0	0
21	ओिशा	0	1	0	0	2	0	3
22	पंजाब	0	1	3	0	1	0	5
23	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0
24	राजस्थान	4	18	3	0	3	0	28
25	तमिलना	0	7	1	1	5	0	14
26	तेलंगाना	0	0	0	0	0	0	0
27	त्रिपुरा	2	2	0	0	1	0	5
28	उत्तर प्रदेश	19	61	11	0	7	0	98
29	उत्तराखं	3	2	0	0	2	0	7
30	प. बंगाल	1	6	1	0	2	0	10
31	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0
कुल		48	153	29	2	115	0	347

वि. व. 2018-19

क्र. सं.	राज्य का नाम	अनियमितताएं (विशिष्ट नहीं)	मनरेगा के अंतर्गत भ्रष्टाचार	मनरेगा के अंतर्गत निधियों का दुर्विनियोजन	मजदूरी का कम भुगतान	मजदूरी का भुगतान न किया जाना	जागरुकता की कमी और कार्य प्रदान न करना	कुल
1	आंध्र प्रदेश	0	1	0	0	0	0	1
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0
3	असम	1	3	3	0	0	0	7
4	बिहार	2	12	6	0	1	0	21
5	छत्तीसगढ़	0	2	0	0	3	0	5
6	गोवा	0	0	0	0	0	0	0
7	गुजरात	0	2	0	0	0	0	2
8	हरियाणा	7	4	0	0	0	0	11
9	हिमाचल प्रदेश	1	0	0	0	1	0	2
10	जम्मू और कश्मीर	0	1	0	0	0	0	1
11	झारखं	0	0	0	0	0	1	1
12	कर्नाटक	1	0	0	0	1	0	2
13	केरल	1	0	0	0	0	0	1
14	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0
15	मध्य प्रदेश	1	11	0	0	1	0	13
16	महाराष्ट्र	0	2	0	0	3	0	5
17	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0
18	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0
19	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0
20	नागालैं	0	0	0	0	0	0	0
21	ओि◌शा	0	0	0	0	0	0	0
22	पंजाब	0	0	5	0	1	0	6
23	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0
24	राजस्थान	0	0	0	0	1	0	1
25	तमिलना	0	1	3	0	2	0	6
26	तेलंगाना	0	0	0	0	0	0	0
27	त्रिपुरा	1	2	0	0	0	0	3
28	उत्तर प्रदेश	0	3	1	0	3	0	7
29	उत्तराखं	0	0	0	0	1	0	1
30	प. बंगाल	0	3	0	0	1	0	4
31	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0
कुल		15	47	18	0	19	1	100

2019-20 ज तक

क्र. सं.	राज्य का नाम	अनियमितताएं (विशिष्ट नहीं)	मनरेगा के अंतर्गत भ्रष्टाचार	मनरेगा के अंतर्गत निधियों का दुर्विनियोजन	मजदूरी का कम भुगतान	मजदूरी का भुगतान न किया जाना	जागरुकता की कमी और कार्य प्रदान न करना	कुल
1	आंध्र प्रदेश	0	1	0	0	0	0	1
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0
3	असम	1	5	3	0	1	0	10
4	बिहार	2	12	6	0	1	0	21
5	छतीसगढ़	0	2	0	0	4	0	6
6	गोवा	0	0	0	0	0	0	0
7	गुजरात	0	2	0	0	0	0	2
8	हरियाणा	7	4	0	0	0	0	11
9	हिमाचल प्रदेश	1	0	0	0	1	0	2
10	जम्मू और कश्मीर	0	1	1	0	0	0	2
11	झारखं	0	0	0	0	0	1	1
12	कर्नाटक	1	0	0	0	1	0	2
13	केरल	0	0	0	0	0	0	0
14	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0
15	मध्य प्रदेश	1	11	0	0	1	0	13
16	महाराष्ट्र	0	2	0	0	3	0	5
17	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0
18	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0
19	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0
20	नागालैं	0	0	0	0	0	0	0
21	ओिशा	0	0	0	0	0	0	0
22	पंजाब	0	0	5	0	2	0	7
23	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0
24	राजस्थान	0	0	0	0	1	0	1
25	तमिलना	0	1	11	0	2	0	14
26	तेलंगाना	0	0	1	0	0	0	1
27	त्रिपुरा	1	2	0	0	0	0	3
28	उत्तर प्रदेश	0	5	3	0	3	0	11
29	उत्तराखं	0	1	1	0	1	0	3
30	प. बंगाल	0	3	2	0	2	0	7
31	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0
कुल		14	52	33	0	23	1	123